

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर

संख्यांक :- क्रमांक-जिशिअ/प्राशि/अज/मान्यता/12-13 / 673 दिनांक 26.11.12


प्रबन्धक
 St. Stephen's primary school, (English Med.)
 Makarwali Road - Ajmer

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक.....के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती, पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से, मैं St. Stephens primary School, Makarwali Road - Ajmer. (विद्यालय का नाम पते सहित) को दिनांक 01.07.2012 से दिनांक 30.06.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा.....से कक्षा.....तक के लिए अन्तरिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर